क्रम-संख्या 67(ख)

रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्ल्यू/एन0पी0 561
लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

प्रयागराज, शुक्रवार, 26 मार्च, 2021 ई0
(चैत्र 5, 1943 शक संवत्)

कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), प्रतापगढ़

संख्या 736/जि0नि0का0 (पं0 एवं न0नि0)/त्रि0पं0सा0नि0/सूचना/2021

दिनांक : 26 मार्च, 2021 ई0

सूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, लखनऊ की अधिसूचना संख्या 709/रा0नि0आ0अनु0-3/पं0नि0/20-21/2021, दिनांक 26 मार्च, 2021 के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद-243ट सपठित उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12खख एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 264ख के अन्तर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 नितिन बंसल, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) जनपद प्रतापगढ़ की समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा उनके सदस्यों एवं समस्त क्षेत्र पंचायत के सदस्यों और जिला पंचायत के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन, जो मा0 न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो एवं ऐसी ग्राम पंचायतें, जिनका कार्यकाल छः माह से अधिक अवशेष हो, को छोड़कर निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार कराये जाने का निर्देश देता हूँ—

समय-सारिणी

चुनाव चक्र	नामांकन का दिनांक व समय	नामांकन-पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय	उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय	प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6	7
द्वितीय चरण	07 अप्रैल, 2021 से 08 अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	09 अप्रैल, 2021 से 10 अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	11 अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	11 अप्रैल, 2021 (अपराह्न 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	19 अप्रैल, 2021 (सोमवार) (पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक)	02 मई, 2021 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

अधोहस्ताक्षरी की उपर्युक्त सूचना के अधीन निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अपने से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के प्रधानों, सदस्यों, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों एवं जिला पंचायत के सदस्यों के स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुये दिनांक 27 मार्च, 2021 को सूचना निर्गत करेंगे और उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को तत्काल प्रेषित करेंगे। इस निर्वाचन कार्यक्रम को प्रमुख स्थानीय समाचार-पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराते हुये व्यापक प्रचार कराया जायेगा और गांव में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। उक्त सामान्य निर्वाचन उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। निर्वाचन अधिकारी की सूचना निर्गत किये जाने के दिनांक अर्थात् दिनांक 27 मार्च, 2021 से नामांकन-पत्रों का विक्रय किया जायेगा।

उपर्युक्त सामान्य निर्वाचन में प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन-पत्रों का विक्रय, नामांकन-पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर होगा। सदस्य जिला पंचायत के नामांकन-पत्रों का विक्रय, नामांकन-पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य जिला मुख्यालय पर होगा।

ग्राम पंचायत के प्रधानों, सदस्यों एवं क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के मतों की गणना तथा परिणाम की घोषणा सम्बन्धित विकास खण्ड के अन्तर्गत निर्धारित मतगणना स्थल पर की जायेगी। जिला पंचायत के सदस्यों के मतों की गणना विकास खण्ड के अन्तर्गत निर्धारित मतगणना स्थल पर की जायेगी तथा परिणाम की घोषणा जिला पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी।

उपर्युक्त समय-सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

डा0 नितिन बंसल,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0),
प्रतापगढ़।

पी0एस0यू0पी0—1 असाधारण गजट—03-04-2021—20 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।